Rashtriya Shoshit Parishad (Regd.) No.: S/13390

(Recognised by the Govt. of India & exempted U/S 80G of the Income Tax Act. 1961)

राष्ट्रीय शोषित परिषद् (रजि०)

(A Council for the Welfare of SC/ST)

President :
JAI BHAGWAN JATAV
Tel. : 26192066
Mob. : 9810634677, W : 9810634655

B-2 Extn./2,
St. No. 7, Krishna Nagar,
Safdarjung Enclave,
New Delhi-110029

Ref. ~~No. RSP/2018/MoH&UD-NBCC/~~ 593839

Dated .....05th Nov. 2018

प्राप्तकर्ता/RECEIVER
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
Ministry of Housing and Urban Affairs
केन्द्रीय रजि० अनुभाग
C. R. Section
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

सेवा में,

श्री हरदीप सिंह पुरी जी
माननीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
निर्माण भवन,
नई दिल्ली - 110011

विषय : पुनर्निर्माण (Re-development) योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक दुकानें (Commercial Units), स्टॉल्स, कियोस्क, थराज आदि में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण से बंचित करने के सम्बन्ध में

ज्ञापन

आदरणीय पुरी साहेब,

देश की कुल आबादी का एक चौथाई भाग केवल अनुसूचित जाति/जनजाति से ही सम्बन्धित है तथा वर्तमान में दिल्ली में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या लगभग 35-40 प्रतिशत तक है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए अपने सम्पदा निदेशालय विभाग (Directorate of Estate) में ही 25 प्रतिशत के बराबर का आरक्षण दिया हुआ है **(Annexure–A)**। तदानुसार मंत्रालय के आदेश पर डी.डी.ए. ने भी सन् 1986 में 12.8 प्रतिशत के आरक्षण को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया था **(Annexure–B)**। आपके मंत्रालय द्वारा ही दिये गये आदेश की कॉपी जो 09 सितम्बर 1986 है (संलग्न है)। आपके मंत्रालय के आदेशानुसार ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने भी अपने प्रस्ताव संख्या (Resolution Number) 29 दिनांक 14.01.1972 के द्वारा उस समय की आबादी के अनुसार 12.8 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था इस प्रस्ताव (Resolution) की कॉपी भी संलग्न है **(Annexure–C)**। जिसको बढ़ाकर एन.डी.एम.सी. ने अपने प्रस्ताव संख्या (Resolution Number) Item No. 3(1) दिनांक 11.10.2002 (कॉपी संलग्न) इस प्रस्ताव (Resolution) के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण 22.5 प्रतिशत कर दिया था जिसकी कॉपी भी संलग्न है **(Annexure–D)** और यह अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण उपरोक्त सभी विभागों में आज भी बराबर लागू है और दुकानें स्टॉल्स, कियोस्क, थराज एवं अन्य सभी प्रकार की व्यवसायिक ईकाइयों इत्यादि में दिया जाता है।

बड़े दुख की बात है कि सम्पदा निदेशालय जो कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के ही अन्तर्गत है, दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण लागू है परन्तु बडे दुख की बात है कि पुनर्निर्माण स्कीम (Re-development) के अन्तर्गत एन.बी.सी.सी. (इण्डिया) लिमिटेड जो कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, का ही एक उद्यम है, वह अपने पुनर्निर्माण प्लान (Re-development Scheme) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को **अछूत मानता** है और हजारों सालों से दबे कुचले समाज को उनके संवैधानिक अधिकार ही देने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारीगण इस बंचित समाज को आज भी घृणा की दृष्टि से ही देखते हैं। उनकी सोच है कि इस बंचित समाज के लोगों को **कल्याणपूरी, खिचड़ीपूरी, नन्दनगरी, दक्षिणपूरी तक ही सीमित रखा जाये** और इन वर्गो को किसी भी पॉस (Paus) इलाके में न घुसने दिया जाये या इन वर्ग के लोगों को दिल्ली में सबसे दूर इलाके बार्डर बबाना, हिसावदा, घेवरा या अन्य दिल्ली की अन्तिम सीमा पर भेज दिया जाये। हमें दुख है कि यही मांनसिकता उच्च अधिकारियों की आज भी काम कर रही है। वे किसी भी अच्छी जगह पर हमें अपनी हिस्सेदारी न देने में अपनी शान समझते हैं और

इसी कोशिश के अन्तर्गत जो किदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, नोरौजी नगर, नेताजी नगर, सरोजिनी नगर इत्यादि कॉलोनियों का जो पुनर्निर्माण प्लान (Re-development Scheme) बनाया गया है उसमें यह विचार तक नहीं किया गया कि देश में एक बड़ी आबादी उन गरीबों की भी है जो कि अपने अपने पुनर्निर्माण के साथ-साथ सरकार भी उनके विकास के कार्यो में जुटी है। हमें इसका भी बड़ा दुख है कि गॉवों/देहातों में जमींदार वर्ग के लोग तो शोषण करते ही है शहरों में भी बड़े-बड़े उद्योगपति, पूजींपति भी अपने उद्योग-धन्धों में जाति पूछ कर नौकरियाँ देते हैं। इससे भी बड़े दुख की बात है कि भारत सरकार जो कि संविधान के अनुसार चलती है और उसी संविधान में इस बंचित समाज/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिणिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में विकास की गारन्टी दी गयी है, ऐसे में भारत सरकार एवं उसका एक उपक्रम एन.बी.सी.सी. (इण्डिया) लिमिटेड, एस.सी./एस.टी. वर्ग के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से बंचित ही रखना चाहता है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को जानबूझ कर उनके संवैधानिक अधिकारों से बंचित करना, अत्याचार निवारण कानून 1989, (संशोधित 2016) के अन्तर्गत शोषण का मामला बनता है।

मेरा आपसे आग्रह है कि एन.बी.सी.सी. (इण्डिया) लिमिटेड, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार का ही उपक्रम है और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने स्वयं अपने विभाग **''सम्पदा निदेशालय विभाग''**, **दिल्ली विकास प्राधिकरण** एवं **नई दिल्ली नगर पालिका** व अन्य भारत सरकार के विभागों को इस बंचित समाज/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गो के लिए आरक्षण देने के लिए आदेश दिये हुए है और उपरोक्त सभी विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गो के लिए आरक्षण पूर्णतया लागू है। उसी प्रकार एन. बी. सी. सी. (इण्डिया) लिमिटेड को भी, भारत सरकार का आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय वंचित समाज के इन वर्गो के सामाजिक, आर्थिक विकास के उद्देश्य से 25 प्रतिशत के बराबर का आरक्षण का आदेश अबिलम्ब एन. बी. सी. सी. (इण्डिया) लिमिटेड को भी दिया जाये। हमें कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आपके मंत्रालय के उच्च अधिकारी एवं एन. बी. सी. सी. (इण्डिया) लिमिटेड के उच्च अधिकारी किसी भी प्रकार से इन वर्गो के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक विकास में रूकावट डालने के लिए आमदा हैं और आरक्षण का विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं।

आदरणीय मंत्री जी आप संविधान के रक्षक हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गो के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संवैधानिक जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जिस प्रकार से अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के आदेश अन्य उपक्रमों को दिये गये हैं, हमारा आग्रह है कि उसी प्रकार के आदेश आपके नेतृत्व में एन. बी. सी. सी. (इण्डिया) लिमिटेड को भी तत्काल दिये जाये जिससे कि पुनर्निर्माण योजना (Re-development Scheme) के अन्तर्गत बनने वाली सभी व्यवसायिक ईकाईयाँ (Commercial Units) में 25 प्रतिशत के बराबर के आरक्षण के आदेश जल्द से जल्द दिये जावे एवं उनकी कीमत भी आरक्षित मूल्य (Reserve Price) के आधार पर ही रखी जाये। इस आरक्षित मूल्य का निर्धारण (Calculation) के उद्देश्य से आरटीआई के अन्तर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार निश्चित की जाये, जो कि आपके मंत्रालय के विभाग सी.पी.ड्ब्ल्यू.डी. विभाग ने ही उपलब्ध करायी है। उसकी कॉपी भी इस पत्र के साथ संलग्न है **(Annexure–E)** तथा अन्य जो आबंटन के आदेश, आपके मंत्रालय ने ही एन.डी.एम.सी., डी.डी.ए., Directorate of Estate को दिये हैं उन सभी आदेशों की सत्यापित कॉपी संलग्न **(Annexure–A to E)** की जा रही है। आपसे नम्र निवेदन है कि हजारों सालों से तिरस्कृत/दबाये गये समाज के विकास एवं न्याय के उद्देश्य से जल्द से जल्द एन. बी. सी. सी. (इण्डिया) लिमिटेड को अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गो के लिए 25 पतिशत आरक्षण तुरन्त लागू करने के आदेश जारी किये जाये जिससे कि बंचित समाज को भी संवैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत अन्य उच्च वर्गो के समाज के साथ मुख्य धारा में लाने का अवसर मिल सके।

धन्यवाद सहित,

आदर सहित,

Bhagwan

(जय भगवान जाटव)
अध्यक्ष

***संलग्न : सभी* (Annexure–A to E)**

सैन्ट्रल आर एण्ड डी
एनबीसीसी (इण्डिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनबीसीसी भवन, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003

5/11/16

Copy to :
The Chairman, NBCC (India) Ltd., Lodhi Road, NBCC Bhawan, New Delhi – 110003 for information and necessary action please.